Result Mitra Daily Magazine

CJI की नियुक्ति प्रक्रिया

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में 24 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (Cheif Justice of India) के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया है।
- पिछले सप्ताह ही वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की 10 नवंबर की सेवानिवृत्ति के अगले दिन यानि 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यभार संभालेंगे।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जो 13 मई 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का 2 वर्ष का कार्यकाल हालिया किसी भी मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल है।

❖ CJI (Cheif Justice of India) की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ?

- भारतीय मुख्य न्यायाधीश के चुनाव के परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जिनका शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में वर्षों का अनुभव हो, CJI के रूप में नियुक्त होते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति की यह प्रक्रिया अब "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन" (MoP, Memorandum of Procedure) के रूप में जाना जाता है।

- MoP के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जो इस पद को संभालने के लिए उपयुक्त होंगे।

❖ सिफारिश प्रक्रिया की शुरुआत :

- MoP के अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय, कानून और न्याय से संबंधित मामले के मंत्री उचित समय पर अगले CJI की नियुक्ति के लिए निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से नामों की सिफारिश मांगी जाती है।
- केंद्रीय कानून और न्याय से संबंधित मंत्री द्वारा अगले CJI की नियुक्ति के लिए निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से नामों की सिफारिश मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले मांगते हैं।
- इसके तहत निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम चयन करके इसके लिए अनुशंसा पत्र केंद्र सरकार के कानून मंत्री को भेजते हैं।

❖ केंद्र सरकार की मंजूरी :

- भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने के बाद केंद्रीय कानून न्याय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को सिफारिश–पत्र पेश करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।

❖ नियुक्ति :

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अंतिम निर्णय तकनीकी रूप से केंद्र सरकार का होता है।
- हालांकि परंपरा के अनुसार, जिसे भी पीठासीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) अपने उत्तराधिकारी के रूप में केंद्र सरकार से सिफारिश करता है, केंद्र सरकार उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है।

❖ MoP (Memorandum of Procedure) कैसे अस्तित्व में आया ?

- प्रथम न्यायाधीश मामले (1981), दूसरे न्यायाधीश मामले (1993) तथा तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) में शीर्ष अदालत को फैसले के बाद उच्च न्यायालय (High Court) और उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक "सहकर्मी चयन प्रक्रिया" स्थापित की गई थी, जिसे वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की "कॉलेजियम प्रणाली" के रूप में जाना जाता है।
- इस कॉलेजियम में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र से करते हैं तथा केंद्र सरकार तकनीकी रूप से इसकी सिफारिशो को मानने के लिए बाध्य होता है।

- MoP को पहली बार वर्ष 1999 में तैयार किया गया था, जो मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में दायित्वों की प्रक्रिया प्रदान करता है।
- MoP एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इसलिए भी है क्योंकि न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए अपनाई गई "कॉलेजियम प्रणाली" भारतीय संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है।

❖ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI नियुक्त करने के परंपरा में बदलाव :

- वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस जेएम शैलट, के एस हेगड़े और ए एन ग्रोवर के स्थान पर अपेक्षाकृत कम वरिष्ठतम न्यायमूर्ति "ए एन रे" को CJI के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी।
- ऐसा माना जाता है कि न्यायमूर्ति "ए एन रे" अपने वरिष्ठ सहयोगियों की तुलना में इंदिरा सरकार के प्रति अधिक अनुकूल प्रवृत्ति के थे।
- पुन: जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन CJI एच आर खन्ना को उनके पद से हटाकर न्यायमूर्ति एम एच बेग को CJI के रूप में नियुक्त करके वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करने की परंपरा को तोड़ा।

❖ भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अगले न्यायाधीश की कतार :

- CJI के कार्यकाल की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पूर्ववर्ती की सेवानिवृत्ति के समय उनकी आयु कितनी थी।
- CJI समेत सभी Supreme Court के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होना होता है।

❖ निकट भविष्य में CJI बनने वाले न्यायाधीशों की सूची (वरिष्ठता के आधार पर) :

1. **जस्टिस संजीव खन्ना**

- नियुक्ति – 11 नवंबर 2024
- सेवानिवृत्ति – 13 मई 2025
- कार्यावधि – 184 दिन

2. **जस्टिस बी आर गवई**

- नियुक्ति – 14 मई 2025

- सेवानिवृत्ति – 23 नवंबर 2025
- कार्यावधि – 194 दिन

3. जस्टिस सूर्यकांत

- नियुक्ति – 24 नवंबर 2025
- सेवानिवृत्ति – 9 फरवरी 2027
- कार्यावधि – 443 दिन

4. जस्टिस विक्रम नाथ

- नियुक्ति – 10 फरवरी 2017
- सेवानिवृत्ति – 23 सितंबर 2027
- कार्यावधि – 226 दिन

5. न्यायमूर्ति वी वी नागरत्ना

- नियुक्ति – 24 सितंबर 2027
- सेवानिवृत्ति – 29 अक्टूबर 2017
- कार्यावधि – 36 दिन

❖ भारतीय संविधान के अनुसार CJI की नियुक्ति :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद–124 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

Result Mitra TM